

2.1 प्रस्तावना

2.1.1 विनियोजन लेखे, विनियोजन अधिनियमों के साथ संलग्न अनुसूचियों में यथा विनिर्दिष्ट, विभिन्न प्रयोजनों हेतु दत्तमत अनुदानों तथा प्रभारित विनियोजनों की राशियों के साथ तुलना किए गए, प्रत्येक वित्तीय वर्ष हेतु सरकार के दत्तमत एवं प्रभारित व्यय के लेखे हैं। ये लेखे मूल बजट अनुमानों, अनुपूरक अनुदानों, अभ्यर्पणों एवं पुनर्विनियोजनों को विशिष्ट रूप से सूचीबद्ध करते हैं और बजट के दोनों प्रभारित और दत्तमत मदों के संबंध में विनियोजन अधिनियम द्वारा प्राधिकृत की तुलना में विभिन्न विनिर्दिष्ट सेवाओं पर वास्तविक राजस्व और पूंजीगत व्यय को इंगित करते हैं। विनियोजन लेखे, इस प्रकार, वित्तों के प्रबंधन और बजटीय प्रावधानों की मानीटरिंग को सुसाधित करते हैं और इसलिए, वित्तीय लेखाओं के पूरक हैं।

2.1.2 भारत के नियन्त्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा विनियोजन लेखापरीक्षा सुनिश्चित करना चाहती है कि विभिन्न अनुदानों के अंतर्गत किया गया वास्तविक व्यय विनियोजन अधिनियमों के अन्तर्गत दिए गए प्राधिकार के अन्दर है तथा संविधान के प्रावधानों के अन्तर्गत, प्रभारित किया जाना अपेक्षित व्यय को इस प्रकार प्रभारित किया जाता है। यह भी सुनिश्चित करता है कि इस प्रकार किया गया व्यय कानून, संबंधित नियमों, विनियमों एवं अनुदेशों के अनुरूप है।

2.1.3 पंजाब बजट मैनुअल, जैसा कि हरियाणा द्वारा अपनाया गया है, के अनुसार, वित्त विभाग, विभिन्न विभागों से प्राक्कलन प्राप्त करके वार्षिक बजट तैयार करने हेतु उत्तरदायी है। प्राप्तियों एवं व्यय के विभागीय अनुमान, विभागाध्यक्षों के परामर्श पर नियंत्रण अधिकारियों द्वारा तैयार किये जाते हैं तथा निर्धारित तिथियों पर वित्त विभाग को प्रस्तुत किए जाते हैं। वित्त विभाग अनुमानों को समेकित करता है तथा 'अनुदानों हेतु मांग' नामक विस्तृत अनुमान तैयार करता है। बजट की तैयारी में, लक्ष्य, यथासंभव वास्तविकों के लगभग समीप प्राप्त करना होना चाहिए। यह, राजस्व अनुमान करने तथा व्यय प्रत्याशित करने दोनों में पूर्वदृष्टि के अभ्यास की मांग करता है। अनुमान में परिहार्य अतिरिक्त प्रावधान उतनी ही अधिक बजटीय अनियमितता है जितनी संस्वीकृत व्यय में आधिक्य। बजट प्रक्रिया विचार करती है कि विशेष मद पर व्यय के एक अनुमान में राशि वह होनी चाहिए जो वर्ष में व्यय की जा सके तथा न तो बृहद्तर हो न ही लघुतर। अनुमान में बचत उतनी ही अधिक वित्तीय अनियमितता है जितनी इसमें एक आधिक्य की। प्राप्तियों के बजट अनुमान, करों, शुल्कों, फीस इत्यादि की विद्यमान दरों पर आधारित होने चाहिये।

लेखापरीक्षा में अवलोकित बजट एवं व्यय के प्रबंधन में त्रुटियां तथा बजट मैनुअल का अतिक्रमण अनुवर्ती अनुच्छेदों में चर्चित हैं।



2.2 विनियोजन लेखाओं का संक्षेप

2010-11 के दौरान 46 अनुदानों/विनियोजनों के विरुद्ध वास्तविक व्यय की संक्षेपित स्थिति तालिका 2.1 में दी गई है:

तालिका 2.1: मूल/पूरक प्रावधानों की तुलना में वास्तविक व्यय की संक्षेपित स्थिति

(` करोड़ में)

	व्यय का स्वरूप	मूल अनुदान/ विनियोजन	अनुपूरक अनुदान/ विनियोजन	कुल	वास्तविक व्यय	बचत (-)/ आधिक्य (+)
दत्तमत	I राजस्व	25,049.36	3,940.41	28,989.77	25,232.71	(-) 3,757.06
	II पूंजीगत	7,520.28	1,351.89	8,872.17	7,573.78	(-) 1,298.39
	III ऋण एवं अग्रिम	1,602.40	00	1,602.40	721.87	(-) 880.53
कुल भारत		34,172.04	5,292.30	39,464.34	33,528.36	(-) 5,935.98
भारत	IV राजस्व	4,064.69	7.43	4,072.12	3,479.94	(-) 592.18
	V पूंजीगत	48.00	10.80	58.80	53.48	(-) 5.32
	VI लोक ऋण-पुनर्भुगतान	5,953.99	1,913.65	7,867.64	4,641.56	(-) 3,226.08
कुल भारत		10,066.68	1,931.88	11,998.56	8,174.98	(-) 3,823.58
आकस्मिक निधि से विनियोजन (यदि कोई है)		00	190.00	190.00	190.00	00
कुल योग		44,238.72	7,414.18	1652.98	41,893.34	(-) 9,759.56

नोट: उपरोक्त दर्शाए गए व्यय की राशियां, राजस्व शीर्षों (` 402.48 करोड़) और पूंजीगत शीर्षों (` 3,596.16 करोड़) के अन्तर्गत व्यय की कटौती के रूप में लेखाओं में समायोजित वसूलियों को परिगणना में लिए बिना, सकल आंकड़े हैं।

वर्ष के दौरान प्राप्त किये गये ` 7,414.18 करोड़ के अनुपूरक प्रावधान, गत वर्ष में नौ प्रतिशत के विरुद्ध मूल प्रावधान का 17 प्रतिशत संघटित किया।

` 9,759.56 करोड़ की समग्र बचतें, राजस्व अनुभाग के अन्तर्गत 44 अनुदानों, पूंजीगत अनुभाग के अन्तर्गत 17 अनुदानों और ऋण अनुभाग के अन्तर्गत एक विनियोजन (लोक ऋण पुनर्भुगतान) में ` 9,982.03 करोड़ की बचतों का परिणाम थी जो कि राजस्व अनुभाग के अन्तर्गत दो अनुदानों और पूंजीगत अनुभाग के अन्तर्गत एक अनुदान में ` 222.47 करोड़ के आधिक्य द्वारा प्रतिसन्तुलित था। ` 222.47 करोड़ के आधिक्य का संविधान की धारा 205 के अन्तर्गत विनियमन अपेक्षित है।

नियंत्रण अधिकारियों को महत्वपूर्ण अंतरों का स्पष्टीकरण देने का अनुरोध करते हुए बचतों/आधिक्यों (विस्तृत विनियोजन लेखे) की सूचना दी गई थी (अगस्त 2011) लेकिन उनके स्पष्टीकरण प्राप्त नहीं हुए थे (अक्टूबर 2011)। वित्त, भवन एवं सड़कें, खाद्य एवं आपूर्ति, सिंचाई, शिक्षा, समाज कल्याण एवं पुनर्वास, शहरी विकास तथा यातायात विभाग महत्वपूर्ण बचतें अत्यधिक व्यय वाले थे।



2.3 वित्तीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन

2.3.1 निर्धारक प्राथमिकताओं की तुलना में विनियोजन

विनियोजन लेखापरीक्षा ने प्रकट किया कि 36 प्रकरणों में, बचतें प्रत्येक प्रकरण में ` 10 करोड़ या कुल प्रावधान का 20 प्रतिशत से अधिक थी (परिशिष्ट 2.1)। ` 9,905.23 करोड़ की कुल बचतों के विरुद्ध, प्रत्येक प्रकरण में ` 50 करोड़ से अधिक की बचतें 20 अनुदानों और एक विनियोजन से संबंधित 25 प्रकरणों में ` 9,724.17 करोड़ (96 प्रतिशत) की राशि की थी जैसा कि तालिका 2.2 में इंगित किया गया है।

तालिका 2.2: ₹ 50 करोड़ या अधिक की बचतों वाले अनुदानों की सूची

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	अनुदान की संख्या एवं नाम	मूल	अनुपूरक	कुल	वास्तविक व्यय	बचतें	अभ्यर्पण
राजस्व – दत्तमत							
1.	4- राजस्व	591.12	627.53	1,218.65	945.48	273.17	394.50
2.	7- आयोजना एवं सांख्यिकी	250.00	4.23	254.23	169.96	84.27	82.72
3.	8- भवन एवं सड़कें	865.13	168.67	1,033.80	664.49	369.31	249.50
4.	9- शिक्षा	5,788.56	384.52	6,173.08	5,562.55	610.53	469.71
5.	10- तकनीकी शिक्षा	239.09	23.39	261.48	195.26	66.22	66.07
6.	13- स्वास्थ्य	1,117.13	200.75	1,317.88	1,068.22	249.66	237.51
7.	14-शहरी विकास	97.52	3.32	100.84	31.15	69.69	69.95
8.	15- स्थानीय सरकार	711.11	234.48	945.59	291.19	654.40	677.38
9.	19- अनुसूचित जातियों एवं पिछड़े वर्गों का कल्याण	188.46	71.52	259.98	199.73	60.25	67.86
10.	21- महिला एवं बाल कल्याण	469.96	-	469.96	363.10	106.86	109.41
11.	23-खाद्य एवं आपूर्ति	243.41	-	243.41	89.48	153.93	153.58
12.	24- सिंचाई	1,105.31	71.76	1,177.07	865.59	311.48	5.33
13.	27- कृषि	583.67	125.60	709.27	654.53	54.74	17.69
14.	32- ग्रामीण एवं सामुदायिक विकास	946.27	133.67	1,069.94	1,010.46	69.48	169.82
15.	34- यातायात	1,061.94	108.00	1,179.94	1,089.12	80.82	80.57
16.	36- गृह	1,417.27	220.77	1,638.04	1,586.28	51.76	54.36
17.	38- जन स्वास्थ्य एवं जल आपूर्ति	664.19	280.37	944.56	870.68	73.88	25.84
18.	40- ऊर्जा एवं विद्युत	2,988.25	237.28	3,225.53	2,964.25	261.28	248.29
राजस्व – भारित							
19.	6- वित्त	4,018.69	-	4,018.69	3,424.44	594.25	505.71
पूंजीगत – दत्तमत							
20.	8- भवन एवं सड़कें	1,213.08	187.90	1,400.98	1,140.50	260.48	245.15
21.	23-खाद्य एवं आपूर्ति	3,816.25	371.53	4,187.78	3,731.04	456.74	452.23
22.	38- जन स्वास्थ्य एवं जल आपूर्ति	649.50	352.20	1,001.70	698.16	303.54	334.06
23.	40- ऊर्जा एवं विद्युत	1,054.77	-	1,054.77	653.95	400.82	400.81
24.	45-राज्य सरकार द्वारा ऋण एवं अग्रिम	1,602.40	-	1,602.40	721.87	880.53	847.36
पूंजीगत – भारित							
25.	लोक ऋण	5,953.99	1,913.65	7,867.64	4,641.56	3,226.08	3,593.95
योग		37,637.07	5,721.14	43,357.21	33,633.04	9,724.17	9,559.36

प्रत्येक अनुदान में ₹ 100 करोड़ से अधिक की बचतें नीचे चर्चित हैं:

i अनुदान संख्या “4 – राजस्व” (राजस्व – दत्तमत)

इसमें केवल ₹ 273.17 करोड़ की कुल बचतें थे परन्तु विभाग ने अनुचित रूप से ₹ 394.50 करोड़ अभ्यर्पित किए। बचतें मुख्यतः शीर्ष “2245 – प्राकृतिक आपदाओं के कारण राहत, 02 – बाढ़ें, चक्रवात इत्यादि, 101 – उपदानात्मक राहत, 97 – बीजों, उर्वरकों तथा कृषि उपकरणों की आपूर्ति (₹ 216.16 करोड़) शीर्ष के अंतर्गत क्षतिग्रस्त फसलों के कारण प्रभावित कृषकों को प्रदत्त कम राहत के कारण की गई थी।

ii अनुदान संख्या “13 – स्वास्थ्य” (राजस्व – दत्तमत)

₹ 1,317.88 करोड़ के प्रावधान के विरुद्ध, व्यय केवल ₹ 1,068.22 करोड़ था, परिणामतः ₹ 249.66 करोड़ की बचतें हुई। आगे, पूरक अनुदानों के माध्यम से निधियों का संवर्धन (₹ 200.75) अनावश्यक सिद्ध हुआ क्योंकि ₹ 1,068.22 करोड़ का कुल व्यय ₹ 1,117.13 करोड़ के मूल प्रावधान से भी कम था। बचतें (₹ 249.66 करोड़) मुख्यतः “2210 – चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य, 05 – चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण एवं अनुसंधान, 105 – एलोपैथी, 81 – नालहड़ में मेवात चिकित्सा महाविद्यालय की स्थापना” शीर्ष के अंतर्गत (₹ 166.62 करोड़), नालहड़ में चिकित्सा महाविद्यालय की आवश्यकता के अनुसार कम सहायता अनुदान जारी करने के कारण थी।

iii अनुदान संख्या “15 – स्थानीय सरकार” (राजस्व – दत्तमत)

अनुदान, ₹ 654.40 करोड़ की बचतों, जिसमें अनुपूरक अनुदानों के कुल ₹ 234.48 करोड़ सम्मिलित थे, के साथ बंद हुआ। यद्यपि, कुल व्यय, मूल बजट का केवल 41 प्रतिशत था, निधियां, इन पूरक अनुदानों के माध्यम से संवर्धित हुई थी। बचतें मुख्यतः “2217 – शहरी विकास, 80 – सामान्य, 800 – अन्य व्यय” शीर्ष के अंतर्गत, नीचे उपशीर्षो “75 – शहरी स्थानीय निकायों हेतु वैट पर अधिभार का हिस्सा (₹ 212.25 करोड़), सहायता अनुदान के लिए संस्वीकृति के विलम्ब से प्राप्ति के कारण तथा “79 – लघु एवं मध्यम शहरों हेतु शहरी मूलभूत संरचना विकास स्कीम” (₹ 123.58 करोड़), जी.ओ.आई. द्वारा अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता के जारी न करने के कारण हुई थी।

iv अनुदान संख्या “23 – खाद्य एवं आपूर्तियां” (राजस्व – दत्तमत)

अनुदान के अन्तर्गत बचतें ₹ 153.93 करोड़ थी। बचतें मुख्यतः, “2408 – खाद्य भण्डारण तथा भाण्डागार, 01 – खाद्य, 001 – निदेशन एवं प्रशासन, 99 – सूचना एवं प्रौद्योगिकी” शीर्ष के अन्तर्गत (₹ 137.63 करोड़) कम्प्यूटरीकरण परियोजना के पूर्ण न करने के कारण थी।

v अनुदान संख्या “40 – ऊर्जा एवं विद्युत” (राजस्व – दत्तमत)

₹ 237.28 करोड़ का पूरक अनुदान अनावश्यक सिद्ध हुआ क्योंकि ₹ 2,964.25 करोड़ का कुल व्यय मूल बजट (₹ 2,988.24 करोड़) से कम था। बचतें (₹ 247.77 करोड़) “2801 – विद्युत, 05 – संचारण एवं वितरण, 800 – अन्य व्यय, 99 – ग्रामीण विद्युतीकरण एच.वी.पी.एन.एल. की सहायता” शीर्ष के अंतर्गत, सरकार द्वारा मितव्यय उपायों के लागू करने के कारण थी।

vi अनुदान संख्या “6 – वित्त” (राजस्व – भारित)

अनुदान, ₹ 594.25 करोड़ की बचतों के साथ, मुख्य लेखा शीर्ष, “2049 – ब्याज भुगतान, 01 – आन्तरिक ऋण पर ब्याज,” नीचे लघु शीर्षो “101 विपणन ऋणों पर ब्याज, 99 – ब्याज वाले विपणन ऋणों पर ब्याज (₹ 179.48 करोड़) आर.बी.आई. द्वारा निर्धारित ब्याज की निम्नतर दर तथा 2010 – 11 के दौरान विपणन उधारों की कम प्राप्ति के कारण; “115 – आर.बी.आई. से अर्थोपाय अग्रिमों पर ब्याज, 99 – आर.बी.आई. से अर्थोपाय अग्रिम” (₹ 138.84 करोड़), शीर्ष के अंतर्गत प्रदत्त समग्र प्रावधान (₹ 107.43 करोड़), की अनुपयोगिता के अतिरिक्त आर.बी.आई. से कम अर्थोपाय अग्रिम प्राप्त करने के कारण तथा “200 – अन्य

आन्तरिक ऋणों पर ब्याज, 91-राज्य सरकार के 8.5 प्रतिशत कर मुक्त विशेष बाण्ड (विद्युत बाण्ड),” जिसके लिए कारण सूचित नहीं किए गए थे (अक्टूबर 2011), के अंतर्गत बृहद बचतों के साथ बंद किया गया।

vii अनुदान संख्या “23 – खाद्य एवं आपूर्तियां” (पूंजीगत – दत्तमत)

अनुदान, ₹ 456.74 करोड़ की बचतों के साथ बंद हो गया जिसमें ₹ 371.53 करोड़ के पूरक अनुदान सम्मिलित थे। समग्र बचतों की दृष्टि से मार्च 2011 के दौरान प्रदान किए गए पूरक अनुदान अनावश्यक सिद्ध हुए क्योंकि व्यय (₹ 3,731.04 करोड़), मूल बजट (₹ 3,816.25 करोड़) के स्तर तक इस तथ्य के बावजूद भी नहीं आया कि ₹ 291.57 करोड़ के पूरक अनुदान, “4408 – खाद्य भण्डारण एवं भाण्डागार पर पूंजीगत परिव्यय, 01 – खाद्य, 101 – प्रापण एवं आपूर्ति, 99 – अनाज आपूर्ति स्कीम” शीर्ष से, धान के कम क्रय के कारण, पुनर्विनियोजन के माध्यम से कम कर दिए गए थे। ₹ 153.59 करोड़ की बचतें, शीर्ष “98 – प्रभार्य स्थापना लागत” के अंतर्गत ब्याज के कम भुगतान के कारण हुई।

viii अनुदान संख्या “38 – जन स्वास्थ्य एवं जल आपूर्ति” (पूंजीगत – दत्तमत)

अनुदान, ₹ 303.54 करोड़ की बचतों के साथ बंद हुआ परन्तु विभाग ने अनुचित रूप से ₹ 334.06 करोड़ अभ्यर्पित किए। ₹ 128.35 करोड़ की बचतें, शीर्ष, “4215 – जलापूर्ति एवं सफाई पर परिव्यय, 01 – जलापूर्ति, 001 – शहरी जलापूर्ति, 94 – राष्ट्रीय पूंजीगत क्षेत्र के अंतर्गत, चुनाव आयोग द्वारा आचार संहिता तथा माइनिंग पर प्रतिबंध लगाने के कारण हुई।

ix अनुदान संख्या “40 – ऊर्जा एवं विद्युत” (पूंजीगत – दत्तमत)

अनुदान, ₹ 1,054.77 करोड़ के मूल बजट के विरुद्ध ₹ 400.82 करोड़ की बचतों के साथ बंद हुआ। शीर्ष, “4801 – विद्युत परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय, 05 – संचारण एवं वितरण, 190 – सार्वजनिक क्षेत्र तथा अन्य उपक्रमों में निवेश, 98 – साम्या पूंजी एच.पी.जी.सी.एल” के अंतर्गत बजट आबंटन सरकार द्वारा मितव्ययी उपायों के लागू करने के कारण पुनर्विनियोजन के माध्यम से ₹ 439.59 करोड़ से ₹ 103.39 करोड़ तक अनुचित रूप से कम कर दिया गया। फिर भी, किया गया वास्तविक व्यय ₹ 183.16 करोड़ था परिणामतः ₹ 79.77 करोड़ का अधिक व्यय हुआ।

x अनुदान संख्या “45 – राज्य सरकार द्वारा ऋण एवं अगिम”

अनुदान, ₹ 1,602.40 करोड़ के मूल बजट के विरुद्ध ₹ 880.53 करोड़ की बचतों के साथ बंद हो गया। बचतें, मुख्यतः शीर्षों, “6217 – शहरी विकास के लिए ऋण, 60 – अन्य विकास स्कीमें, 800 – अन्य ऋण, 97 – सामाजिक एवं भौतिक मूलभूत संरचना के सुदृढीकरण हेतु मूलभूत संरचना विकास निधियों को ऋण (₹ 433.61 करोड़) तथा “6801 – विद्युत परियोजना हेतु ऋण, 205 – संचारण एवं वितरण, 98 – एच.वी.पी.एन.एल. को ऋण” (₹ 384.34 करोड़), के अंतर्गत, जी.ओ.आई. द्वारा निधियों के जारी न करने के कारण हुई थी।

xi लोक ऋण

लोक ऋण के लिए ₹ 7,867.64 करोड़ के कुल प्रावधान के विरुद्ध, सरकार ने केवल ₹ 4,651.56 करोड़ का

लाभ उठाया। ₹ 3,226.08 करोड़ की बचतें मुख्यतः, शीर्ष, “6003 – राज्य सरकार के आंतरिक ऋण” नीचे लघु शीर्ष “107 – भारतीय राज्य बैंक तथा अन्य बैंकों से ऋण” (₹ 1900 करोड़), भारतीय खाद्य निगम द्वारा अनाज के कम उठाने के कारण तथा “110 – आर.बी.आई.से अर्थोपाय अग्रिम (₹ 1,329.52 करोड़) के अंतर्गत आर.बी.आई. से अर्थोपाय अग्रिमों का कम लाभ उठाने के कारण हुई थी।

2.3.2 अधिक व्यय

दो प्रकरणों में, ₹ 218.80 करोड़ का कुल खर्च प्रत्येक प्रकरण में अनुमोदित प्रावधानों के ₹ 10 करोड़ या इससे अधिक तक और कुल प्रावधान का 20 प्रतिशत से भी अधिक बढ़ गया था। विवरण **परिशिष्ट 2.2** में दिए गए हैं। इनमें से अनुदान संख्या “24 – सिंचाई” के प्रकरण में (तालिका 2.3) पिछले पांच वर्षों से निरन्तर ₹ 10 करोड़ से अधिक तथा 10 प्रतिशत से भी अधिक का ज्यादा व्यय अवलोकित किया गया था।

तालिका 2.3: 2005 – 10 के दौरान निरन्तर अधिक व्यय इंगित करने वाले अनुदानों की सूची

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	अनुदान संख्या एवं नाम	कुल प्रावधान से बचतों की प्रतिशतता (अधिक व्यय की राशि)				
		2006-07	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11
पूँजीगत (दत्तमत)						
1	24 - सिंचाई	17 (182.81)	20 (278.72)	12 (171.01)	12 (177.25)	39 (198.58)

आधिक्य मुख्यतः, शीर्ष, “4700 – मुख्य सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय, 16 – विद्यमान नहरों /निर्यास प्रणाली के पुनरुद्धार तथा 07 – नाबार्ड के अंतर्गत पुरानी /विद्यमान नहरों का सुधार (₹ 158.34 करोड़), “4701 – मुख्य एवं मध्यम सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय, 07 – नाबार्ड के अंतर्गत पुरानी /विद्यमान नहरों का सुधार, जल के साम्य योग्य वितरण हेतु नई माइनर तथा कौशल्या बांध” (₹ 146.15 करोड़) तथा “4711 – बाढ़ नियंत्रण परियोजनाओं पर, कारणों, जैसे लम्बित देयताएं पूरी करना, अन्तर्राज्य नहरों के परिचालन एवं अनुरक्षण हेतु पंजाब सरकार के पास अधिक निधियां जमा करना, बाढ़ नियंत्रण हेतु किए गए प्रावधान की अनुचित कटौती, इत्यादि, हेतु पूँजीगत परिव्यय (₹ 50.67 करोड़)। परियोजनाओं की असंस्वीकृति, अनुसूचित जातियों के लिए विशेष कम्पोनेंट योजना के अधीन क्षेत्र साफ न करवाना, कार्यों के अनिष्पादन, स्कीमों के अकार्यान्वयन, इत्यादि के कारण बचतों द्वारा आधिक्य प्रतिसंतुलित थे।

शीर्ष “2071 – पेंशन तथा अन्य सेवानिवृत्ति लाभ” (₹ 19.57 करोड़) के अन्तर्गत “अनुदान संख्या 6 – वित्त” के अन्तर्गत **परिशिष्ट 2.2** में दर्शाया गया आधिक्य वर्ष के दौरान पेंशन संशोधन मामलों की अधिक प्राप्ति के कारण था।

2.3.3 प्रावधान के बिना व्यय

बजट नियमावली के अनुसार, स्कीम/सेवा पर निधियों के प्रावधान के बिना कोई व्यय नहीं किया जाना है। तथापि, यह देखा गया कि **तालिका 2.4** में यथा वर्णित 10 प्रकरणों में मूल अनुमानों/अनुपूरक मांगों में किन्हीं प्रावधानों बिना तथा इस प्रभाव के किन्हीं पुनर्विनियोजन आदेशों बिना ₹ 444.35 करोड़ का व्यय किया गया था।

तालिका 2.4: 2010 - 11 के दौरान प्रावधान के बिना किया गया व्यय

क्र. सं.	अनुदान की संख्या एवं नाम	प्रावधान के बिना व्यय की राशि (करोड़ में)	कारण /अभ्यक्तियां
1.	24 -सिंचाई	374.24	शीर्ष "2700-मुख्य सिंचाई, 02-पश्चिमी जमुना कैनल परियोजना (वाणिज्यिक), 800-अन्य व्यय, 99-ब्याज के अंतर्गत व्यय किया गया था। सरकार द्वारा कारण सूचित नहीं किये गए हैं।
2.		3.61	शीर्ष "2700-मुख्य सिंचाई, 02-पश्चिमी जमुना नहर परियोजना (वाणिज्यिक), 001-निदेशन एवं प्रशासन, 94-मुख्य अभियंता" के अंतर्गत व्यय किया गया था। सरकार द्वारा कारण सूचित नहीं किए गए हैं।
3.		1.7	शीर्ष "2700-मुख्य सिंचाई, 01-बहु उद्देश्य नहर परियोजना (वाणिज्यिक), 800-अन्य व्यय, 99-ब्याज" के अंतर्गत व्यय किया गया था। सरकार द्वारा कारण सूचित नहीं किए गए हैं।
4.		1.21	शीर्ष "2700-मुख्य सिंचाई, 01-बहुउद्देश्य नहर परियोजना (वाणिज्यिक), 101-अनुरक्षण एवं मरम्मत, 98-अन्य अनुरक्षण व्यय" के अंतर्गत व्यय किया गया था। सरकार द्वारा कारण सूचित नहीं किए गए।
5.		5.34	शीर्ष "4700-मुख्य सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय, 16-विद्यमान नहरों/मल निर्यास प्रणाली का पुनरुद्धार, 07-नाबार्ड के अंतर्गत पुरानी/विद्यमान नहरों का सुधार" के अंतर्गत व्यय किया गया था। सरकार द्वारा कारण सूचित नहीं किए गए हैं।
6.		1.53	शीर्ष "4700-मुख्य सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय, 16-विद्यमान नहरों/निर्यास प्रणाली का पुनरुद्धार, 06-मुनक नहर परियोजना, 800-अन्य व्यय, 98-नहर का निर्माण" के अंतर्गत व्यय किया गया था। सरकार द्वारा कारण सूचित नहीं किए गए थे।
7.		4.03	शीर्ष "4701-मुख्य एवं मध्यम सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय, 07-नबार्ड के अधीन पुरानी/विद्यमान चैनलों का सुधार, 80-सामान्य, 799-उचन्त, 99-उचन्त" के अंतर्गत व्यय किया गया था। सरकार द्वारा कारण सूचित नहीं किए गए हैं।
8.		43.20	शीर्ष "4711-बाढ़ नियंत्रण परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय, 01-बाढ़ नियंत्रण, 001-निदेशन एवं प्रशासन, 97-निष्पादन" के अंतर्गत व्यय किया गया था। सरकार द्वारा कारण सूचित नहीं किए गए हैं।
9.	38 -जन स्वास्थ्य एवं जल आपूर्ति	6.41	शीर्ष, "2215-जल आपूर्ति एवं सफाई, 02-सीवरेज एवं स्वच्छता, 792-अवसूलनीय ऋण बट्टे खाते डालना" के अंतर्गत व्यय किया गया था। सरकार द्वारा कारण सूचित नहीं किए गए थे।
10.		3.07	शीर्ष, "2215-जल आपूर्ति एवं सफाई, 02-सीवरेज एवं स्वच्छता, 792-अवसूलनीय ऋण बट्टे खाते डालना" के अंतर्गत व्यय किया गया था। सरकार द्वारा कारण सूचित नहीं किए गए थे।
योग		444.35	

2.3.4 बजट अनुदान के व्यपगत होने से बचाने हेतु निधियों का आहरण

पंजाब वित्त नियमावली के नियम 2.10 (6)(5), हरियाणा को भी लागू है, में सम्मिलित प्रावधानों के अनुसार कोई भी धन राशि खजाने से तब तक नहीं निकलवाई जानी चाहिए जब तक कि उसके तत्काल भुगतान की आवश्यकता न हो। 10 आहरण व वितरण अधिकारियों, जिनके कार्यालयों की लेखापरीक्षा वर्ष 2009-10 के दौरान की गई थी, ने ₹ 114.24 करोड़ की कुल राशि, जैसा कि **परिशिष्ट 2.3** में वर्णित है, निकलवाई थी जो कि न तो प्रयोजनों, जिनके लिए ये आहरित की गई थी, के लिए पूर्णतया व्यय की गई थी न ही वित्त वर्ष की समाप्ति से पूर्व सरकारी खातों को प्रेषित की गई थी।

यह आगे अवलोकित किया कि वित्तीय वर्ष की अंतिम तिमाही के दौरान या अंतिम दिन को आहरित निधियां तिजोरी या बैंक में केवल बजट अनुदानों को व्यपगत होने से बचाने हेतु रखी गई थी।

2.3.5 पिछले वर्षों से संबंधित प्रावधानों से आधिक्य जिसे नियमित करवाने की आवश्यकता है

भारत के संविधान के अनुच्छेद 205 के अनुसार राज्य सरकार के लिए अनिवार्य है कि वह अनुदानों/विनियोजनों से आधिक्यों को राज्य विधान सभा से नियमित करवाए। यद्यपि अनुच्छेद के अन्तर्गत, अधिक व्यय के विनियमन हेतु कोई समय सीमा निर्धारित नहीं की गई है, तथापि लोक लेखा समिति द्वारा विनियोजन लेखाओं की परिचर्चा की पूर्ति के पश्चात अधिक व्यय का विनियमन किया जाता है। तथापि, 2008-09 एवं 2009-10 वर्षों हेतु ₹ 741.92 करोड़ की राशि का अधिक व्यय अभी भी विनियमित करवाया जाना था। अधिक व्यय की वर्षवार राशियां, जिनके अनुदानों/विनियोजनों का विनियमन लम्बित है, तालिका 2.5 में सारांशित हैं:

तालिका 2.5: पिछले वर्षों से संबंधित प्रावधानों से आधिक्य जिसे नियमित करवाने की आवश्यकता है

(₹ करोड़ में)

वर्ष	अनुदानों की संख्या	प्रावधान पर आधिक्य की राशि	विनियमन की स्थिति
2008-09	3,8,10,15,20 तथा 22	3,02,62,89,421	विनियोजित लेखे पी.ए.सी. द्वारा चर्चित नहीं किए गए हैं।
2009-10	3,6,10 तथा 15	4,39,28,66,270	
योग		7,41,91,55,691	

2.3.6 2010-11 के दौरान प्रावधानों से आधिक्य जिसे नियमित करवाने की आवश्यकता है

तालिका 2.6 में वर्ष 2010-11 के दौरान राज्य की समेकित निधि से अनुमोदनों पर तीन अनुदानों/विनियोजनों में ₹ 222.47 करोड़ की राशि के कुल आधिक्यों का सार सम्मिलित है जिसका संविधान के अनुच्छेद 205 के अन्तर्गत विनियमन अपेक्षित है।

तालिका 2.6: 2010-11 के दौरान प्रावधानों से आधिक्य जिसे नियमित करवाने की आवश्यकता है

(राशि ₹ में)

क्र.सं.	अनुदान/विनियोजन की संख्या एवं नाम	कुल अनुदान/विनियोजन	व्यय	आधिक्य
राजस्व (दत्तमत)				
1.	6-वित्त	31,18,99,97,000	31,39,21,79,496	20,21,82,496
	उप-योग	31,18,99,97,000	31,39,21,79,496	20,21,82,496
राजस्व (भारित)				
1.	42 - न्याय प्रशासन	34,30,52,000	37,97,88,623	3,67,36,623
	उप-योग	34,30,52,000	37,97,88,623	3,67,36,623
पूंजीगत (दत्तमत)				
1.	24 - सिंचाई	5,14,40,00,000	7,12,98,13,506	1,98,58,13,506
	उप-योग	5,14,40,00,000	7,12,98,13,506	1,98,58,13,506
	कुल योग	36,67,70,49,000	38,90,17,81,625	2,22,47,32,625

सरकार से अगस्त 2011 में अधिक व्यय हेतु कारणों को मांगे गए थे, उत्तर प्राप्त नहीं हुआ था (अक्टूबर 2011)।

2.3.7 अनावश्यक/अत्यधिक/अपर्याप्त अनुपूरक प्रावधान

वर्ष के दौरान 16 प्रकरणों, प्रत्येक प्रकरण में ₹ 50 लाख या अधिक आवेष्टित, में प्राप्त कुल ₹ 3,575.99 करोड़ के अनुपूरक प्रावधान, अनावश्यक सिद्ध हुए क्योंकि व्यय मूल प्रावधान के स्तर तक भी नहीं पहुंच पाया जैसा कि **परिशिष्ट 2.4** में वर्णित है। एक प्रकरण में कुल ₹ 78 करोड़ का अनुपूरक प्रावधान, ₹ 198.58 करोड़ के कुल अनावृत अधिक व्यय छोड़ते हुए अपर्याप्त साबित हुआ (**परिशिष्ट 2.5**)।

2.3.8 निधियों का अत्यधिक/अनावश्यक पुनर्विनियोजन

पुनर्विनियोजन, एक अनुदान के भीतर विनियोजन की एक इकाई से, जहां बचतें संभावित होती हैं, दूसरी इकाई को जहां अतिरिक्त निधियों की आवश्यकता होती है, निधियों का अंतरण है। पुनर्विनियोजन अत्यधिक अभ्यर्पणों तथा अपर्याप्त संवर्धन के विचार से अनुचित साबित हुआ तथा परिणामस्वरूप 54 उप-शीर्षों में ₹ 1,583.70 करोड़ के आधिक्य और 107 उप-शीर्षों के अंतर्गत प्रत्येक प्रकरण में ₹ एक करोड़ से अधिक तक ₹ 1,830.96 करोड़ की बचतें हुईं। 24 उप-शीर्षों के अन्तर्गत जैसा कि **परिशिष्ट 2.6** में वर्णित है, ₹ 10 करोड़ से अधिक आधिक्य/बचतें थीं।¹ 12 प्रकरणों में पुनर्विनियोजन के माध्यम से प्रावधानों की कटौती अनुचित साबित हुई क्योंकि अधिक व्यय, पुनर्विनियोजन के माध्यम से कम किए गए प्रावधानों से अधिक था। इसी प्रकार नौ² प्रकरणों में निधियों का पुनर्विनियोजन अत्यधिक साबित हुआ क्योंकि पुनर्विनियोजन के माध्यम से प्रदान की गई निधियों से अधिक थी।

2.3.9 वास्तविक बचतों के आधिक्य में अभ्यर्पण

10 प्रकरणों में, अभ्यर्पित राशियां (प्रत्येक प्रकरण में ₹ 50 लाख या अधिक) वास्तविक बचतों के आधिक्य में थी जो इन विभागों में अपर्याप्त बजटीय नियन्त्रण अथवा की कमी को इंगित करती हैं। ₹ 4,772.18 करोड़ की बचतों के विरुद्ध अभ्यर्पित राशियां ₹ 5,430.32 करोड़ थी परिणामतः ₹ 658.14 करोड़ का अधिक अभ्यर्पण हुआ। विवरण **परिशिष्ट 2.7** में दिये गये हैं। आगे, दो प्रकरणों में (**परिशिष्ट 2.7**) किया गया व्यय कुल अनुदानों/विनियोजनों से अधिक था (₹ 218.80 करोड़) परन्तु फिर भी निधियां (₹ 72.08 करोड़) अनुचित रूप से अभ्यर्पित की गईं।

2.3.10 अनभ्यर्पित संभावित बचतें

पंजाब बजट नियमपुस्तिका हरियाणा को लागू, के अनुच्छेद 13.2, के अनुसार जब कभी प्रत्याशित बचतें हों तो व्ययी विभाग द्वारा अनुदानों/विनियोजनों या उनके अंश, वित्त विभाग को अभ्यर्पित किए जाने अपेक्षित हैं। वर्ष 2010-11 की समाप्ति पर 17 अनुदानों/विनियोजनों के अन्तर्गत 20 प्रकरणों में ₹ 4,475.44 करोड़ की कुल बचतों में से (प्रत्येक अनुदान/विनियोजन में ₹ एक करोड़ या अधिक की बचतें इंगित थी) ₹ 964.77 करोड़ की कुल राशियां (कुल बचतों का 22 प्रतिशत) अभ्यर्पित नहीं की गई थी जिसके विवरण **परिशिष्ट 2.8** में दिए गए हैं। इसके अतिरिक्त, मार्च 2011 के अंतिम दो कार्य दिवसों में 31 प्रकरणों में (प्रत्येक प्रकरण में ₹ 10 करोड़ से अधिक निधियों का अभ्यर्पण) ₹ 9,775.79 करोड़ (**परिशिष्ट 2.9**) अभ्यर्पित किए गए जो अपर्याप्त वित्तीय नियंत्रण एवं अन्य विकास प्रयोजनों हेतु इन निधियों की अनुपयोगिता इंगित करते हैं।

1. **परिशिष्ट 2.6** की क्रम संख्या 9, 24, 35, 37, 39, 50, 100, 103, 105, 145, 146 तथा 147

2. **परिशिष्ट 2.6** की क्रम संख्या 27, 40, 48, 64, 67, 71, 79, 135 तथा 165

2.3.11 व्यय का वेग

सामान्य वित्तीय नियमों का नियम 56 प्रावधान करता है कि व्यय पूरे वर्ष समान रूप से किया जाना चाहिए। वित्तीय वर्ष के अंतिम मास में व्यय की अधिकता वित्तीय औचित्य का उल्लंघन माना जाता है तथा इसका परिहार करना चाहिए। इसके विपरीत मार्च 2011 में अथवा वर्ष की अन्तिम तिमाही के दौरान, **परिशिष्ट 2.10** में सूचीबद्ध 19 अनुदानों/विनियोजनों के 31 शीर्षों के संबंध में ₹ 10 करोड़ से अधिक तथा वर्ष हेतु कुल व्यय के 50 प्रतिशत से भी अधिक व्यय किया गया।

आगे जांच ने प्रकट किया कि वर्ष 2010-11 के दौरान 19 अनुदानों के अन्तर्गत 31 मुख्य शीर्षों पर ₹ 8,196.66 करोड़ के व्यय में से ₹ 3,769.48 करोड़ (46 प्रतिशत) का व्यय मार्च 2011 के माह के दौरान किया गया। अंतिम तिमाही विशेषतः मार्च के माह के दौरान व्यय के वेग ने वित्तीय नियमों की अननुपालना दर्शाई।

2.4 आकस्मिक निधियों से अग्रिम

राज्य की आकस्मिक निधि, भारत के संविधान की धारा 267(2) तथा 283(2) के प्रावधानों के निबंधन में, हरियाणा आकस्मिक निधि अधिनियम 1966 (2) के अंतर्गत स्थापित की गई है। निधि से अग्रिम, केवल एक अप्रत्याशित तथा आपात प्रकृति के व्यय को पूरा करने हेतु किया जाना है जिसका स्थगन, विधायिका द्वारा इसके प्राधिकरण तक, अवांछनीय होगा। निधि, एक अग्रदाय के रूप में है। 1 अप्रैल 2010 को वर्ष के आरंभ में शेष ₹ 10 करोड़ था। राज्य विधान सभा ने, समेकित निधि से ₹ 190 करोड़ विनियोजित करके ₹ 200 करोड़ तक आकस्मिक निधि का संग्रह बढ़ा दिया।

वर्ष के दौरान, राज्य सरकार ने ₹ 8.27 करोड़ संस्वीकृत किए परन्तु आकस्मिक निधि से केवल ₹ 5.84 करोड़, चिकित्सा दावों, वेतन, कार के क्रय, स्टाफ को अग्रिम, संशोधित वेतन तथा विविध प्रभारों इत्यादि पर व्यय पूरा करने हेतु आहरित किए (**परिशिष्ट 2.11**)। वर्ष के दौरान, अग्रिम की पूर्ति बाद में निधि से की गई थी। इन भुगतानों की संवीक्षा ने प्रकट किया कि किया गया व्यय, अग्रिम में भली-भांति देखा जा सकता था। अतः, आकस्मिक निधि से निधियों का आहरण अनियमित था।

2.5 बजटीय प्रक्रिया में त्रुटियां

राज्य सरकार द्वारा बजटिंग के प्रक्रिया में, निम्न अवलोकित किए गए:

- वित्त विभाग द्वारा जारी दोषपूर्ण पुनर्विनियोजन आदेशों के कारश दोषपूर्ण बजटिंग के, ₹ 356.29 करोड़ से आवेष्टित चार प्रकरण (**परिशिष्ट 2.12**) अवलोकित किए गए।
- इनमें से, एक प्रकरण में, ₹ 51 करोड़ का समग्र प्रावधान 'शून्य' तक कम कर दिया गया। इस शीर्ष के अंतर्गत ₹ 21.90 करोड़ के व्यय के विचार से, निर्णय अविवेकपूर्ण साबित हुआ। अन्य प्रकरण में, पुनर्विनियोजनों के माध्यम से प्रावधानों (₹ 43.59 करोड़) की कटौती भी अविवेकपूर्ण साबित हुई क्योंकि इस प्रकरण में ₹ 40.52 करोड़ का अधिक व्यय था। ₹ 19 करोड़ के व्यय से आवेष्टित दो प्रकरणों में, पुनर्विनियोजनों के माध्यम से निधियों का संवर्धन (₹ 10.36 करोड़) अत्यधिक साबित हुआ क्योंकि इन शीर्षों के अंतर्गत ₹ 12.22 करोड़ की बचतें थीं।
- सरकार द्वारा अनुसरित सकल बजटिंग की प्रणाली अधीन, विधानसभा को प्रस्तुत अनुदानों हेतु मांगें सकल व्यय हेतु हैं तथा सभी वसूलियों को सम्मिलित करती हैं। ये, लेखाओं में, व्यय की कटौती के

रूप में समायोजित की जाती हैं। प्रत्याशित वसूलियां तथा क्रेडिट्स, बजट अनुमानों में पृथकतः दर्शाए गए हैं। यद्यपि, ₹ 101.18 करोड़ की वसूली, वर्ष 2010 - 11 हेतु अनुदान संख्या '4 - राजस्व' के संबंध में बजट अनुमानों में प्रावधान की गई थी, ₹ 319.41 करोड़ की वसूली की गई थी। आगे, पांच अनुदानों³ के संबंध में, वास्तविक वसूलियां (₹ 3,679.22 करोड़) अनुमानित वसूलियों (₹ 4,321.88 करोड़) से ₹ 642.66 करोड़ तक कम थी। वसूलियों के विवरण विनियोजन लेखाओं के परिशिष्ट में दिए गए हैं। अनुमानित वसूलियों तथा वास्तविक वसूली के मध्य बृहद् भिन्नताओं ने दोषपूर्ण बजटिंग सूचित की।

2.6 बजटीय धारणाओं के विश्लेषण के परिणाम

2.6.1 प्रस्तावना

योजना आयोग ने, ₹ 35,000 करोड़ की ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना (2007 - 12) अनुमोदित की, जिसमें वर्ष 2010 - 11 हेतु ₹ 11,100 करोड़ का प्रावधान किया गया। राज्य बजट, वृद्धि प्रणाली अपनाते हुए तैयार किया गया, अर्थात् उपलब्ध स्रोतों पर प्रथम प्रभार, सभी चल रही स्कीमों पर है तथा नई स्कीमें तत्पश्चात् सम्मिलित की जाती हैं। वित्त विभाग ने गत वर्ष तथा सितंबर तक चालू वित्तीय वर्ष के आंकड़े ध्यान में रखते हुए विभागीय प्रस्तावों की जांच की। वर्ष 2010 - 11 हेतु अनुमान 2008 - 09 के वास्तविक पूर्व⁴ आंकड़े तथा सितंबर 2009 तक आधार वर्ष 2009 - 10 की प्राप्तियों/व्यय को ध्यान में रखते हुए तैयार किए गए थे। तदनुसार, 2010 - 11 हेतु बजट अनुमानों हेतु बजटीय धारणाएं निम्नवत बनाई गई थी:

राजस्व प्राप्तियां:

- योजनेतर राजस्व प्राप्तियां⁵ बजट अनुमान (बी.ई.) 2009 - 10 की अपेक्षा 0.3 प्रतिशत बढ़नी थी।

कर राजस्व:

- कर संरचना में कोई परिवर्तन नहीं होना था, जो 2009 - 10 के दौरान लागू रहेगा।
- राज्य के स्वयं के कर को, अर्थव्यवस्था में मंदी के कारण मंद होने के कर 4.7 प्रतिशत तक बढ़ना माना गया था तथा मूल्य वृद्धित कर (वैट) से राजस्व, बजट अनुमान (बी.ई.) 2009 - 10 की अपेक्षा 5.1 प्रतिशत बढ़ना था।

कर - भिन्न राजस्व:

- कर - भिन्न राजस्व, बी.ई. 2009 - 10 पर 16.4 प्रतिशत कम होना, अर्थव्यवस्था में मंदी के प्रभाव के कारण माना गया था।

संघीय करों का केन्द्रीय हिस्सा:

- यह, बी.ई. 2009 - 10 के स्तर पर रहना था।

सहायता अनुदान:

- राजस्व घाटा अनुदान तथा बारहवें वित्त आयोग (टी.एफ.सी.) द्वारा यथा अनुशंसित आपदा राहत निधि

3. '8 - भवन एवं सड़क', '23 - खाद्य एवं आपूर्तियां', '27 - कृषि', '34 - यातायात' तथा '38 - जन स्वास्थ्य एवं जल आपूर्ति'

4. वास्तविक - पूर्व आंकड़े प्रधान महालेखाकार (लेखा व हक.) द्वारा वित्त लेखाओं के अन्तिमकरण से पूर्व आपूरित किए गए थे।

5. योजनेतर राजस्व प्राप्तियां: राज्य के स्वयं कर राजस्व, गैर कर राजस्व, केन्द्रीय करों में हिस्सा तथा योजनेतर सहायता अनुदान सम्मिलित करती हैं।

का केन्द्रीय हिस्सा योजनेतर अनुदानों अधीन लिए गए थे। स्थानीय निकायों हेतु अनुदान टी.एफ.सी. अवधि के लिए कुल अनुशासित के पांचवें हिस्से के बराबर लिए गए थे। टी.एफ.सी. द्वारा यथा प्रस्तावित राज्य की विशिष्ट आवश्यकताओं वनों के अनुरक्षण तथा हेरिटेज संरक्षण हेतु अनुदान, राज्य की स्वयं की निधियों के अंतर्गत योजना स्रोतों के रूप में लिए गए थे। बी.ई. 2010-11 में राज्य द्वारा ₹ 2,329.31 करोड़ का प्रावधान किया गया था।

योजनेतर व्यय:

- वेतन संशोधन के बकायों के 30 प्रतिशत तथा पेंशन के संशोधन का प्रावधान बी.ई. 2010-11 में किया गया।
- लागत वृद्धि अथवा वृद्धि दर 5 प्रतिशत प्रतिवर्ष मानी गई थी।
- परियोजनागत प्राप्तियों तथा व्यय एवं उसके विरुद्ध वास्तविकों के विवरण परिशिष्ट 2.13 में दिए गए हैं।

2.6.2 बजटीय धारणाओं में कमियां

बी.ई. तथा संशोधित अनुमानों (आर.ई.) के तैयार करने में प्रक्रिया तथा पारदर्शिता की जांच करने हेतु वित्त विभाग में वर्ष 2010-11 हेतु बी.ई. के तैयार करने हेतु प्राप्तियों एवं व्यय हेतु बनाई गई बजटीय धारणाओं तथा उसके विरुद्ध वास्तविकों का एक विश्लेषण किया गया (मई-जुलाई 2011)। तालिका 2.7 में वर्णित प्रकरणों में बजटीय धारणाएं वास्तविक आधारों पर आधारित नहीं थी:

तालिका: 2.7 अवास्तविक बजटीय धारणाएं

क्र.सं.	विवरण	बजट प्रावधान 2010-11	वास्तविक प्राप्तियां	टिप्पणियां
	राजस्व प्राप्तियां	(₹ करोड़ में)		
1	स्वयं की कर राजस्व प्राप्तियां (योजनेतर राजस्व प्राप्तियां)	22,543.86	24,279.03	0.3 प्रतिशत की मानी गई वृद्धि के विरुद्ध, प्रक्षेपणों में वृद्धि की दर 9.85 प्रतिशत थी। 2009-10 के दौरान वास्तविक प्राप्तियों (₹ 19,352.10 करोड़) पर वास्तविक संग्रहण में वृद्धि 25 प्रतिशत थी।
2	कर राजस्व	16,469.29	16,790.37	बी.ई.(2010-11) में प्रक्षेपण (₹ 16,469.29 करोड़) ने बी.ई. (2009-10) (₹ 14,646.50 करोड़) पर 4.7 प्रतिशत की संभावित वृद्धि के विरुद्ध 12.44 प्रतिशत वृद्धि संघटित की। वास्तविक प्राप्तियां, 2009-10 की वास्तविक प्राप्तियों (₹ 13,219.50 करोड़) से 27 प्रतिशत उच्चतर थी।
क)	बिक्री कर (वैट)	बी.ई.-11,500 आर.ई.-12,300	11,082.01	बजट अनुमानों के अनुमोदन के पश्चात, सरकार ने वैट की दर चार से पांच प्रतिशत तक बढ़ा दी तथा 1 अप्रैल 2010 तथा अतिरिक्त संसाधन संघटित करने के विचार से 1 अप्रैल 2010 से वैट पर पांच प्रतिशत अधिभार लगाया। आर.ई. में बी.ई. भी ₹ 12,300 करोड़ तक बढ़ गया था, परन्तु वास्तविक प्राप्तियां बी.ई. 2010-11 से भी कम थी। न केवल धारणाएं अवास्तविक थी, तथ्य, कि बी.ई., वैट दरों/अधिभार में वृद्धि के पश्चात भी पूरा नहीं किया जा सका, समय बजट प्रक्रिया पर प्रश्न चिह्न लगाता है।

क्र.सं.	विवरण	बजट प्रावधान 2010 - 11	वास्तविक प्राप्तियां	टिप्पणियां
ख)	स्टाम्पस एवं पंजीकरण	1,900	2,319.28	वास्तविक प्राप्तियां प्रक्षेपणों पर 22 प्रतिशत तक उच्चतर थी। धारणाएं, इस शीर्ष के अंतर्गत प्राप्तियों की गत प्रवृत्तियों की उपेक्षा करते हुए अवनुमानित की गई थी।
ग)	वाहनों पर कर	350	457.36	बी.ई.ज, वास्तविक प्राप्तियों की तुलना में ₹ 107.36 करोड़ तक (31 प्रतिशत) अवनुमानित थी।
घ)	माल एवं यात्रियों पर कर	425	387.14	बी.ई.ज, वास्तविक प्राप्तियों की तुलना में ₹ 37.86 करोड़ (9 प्रतिशत) तक अधिक अनुमानित थे।
ड.)	विद्युत पर कर एवं शुल्क	बी.ई.- 140 आर.ई.- 143	130.27	2008-09 में ₹ 106.31 करोड़ तथा 2009-10 में ₹ 119.59 करोड़ की गत प्रवृत्ति की उपेक्षा करते हुए, संशोधित अनुमान (आर.ई.) 2010-11 में बी.ई. ₹ 143 करोड़ तक बढ़ा दिया गया। परन्तु वास्तविक प्राप्तियां, बी.ई. 2010-11 से कम थी।
च)	भू-राजस्व	15.97	10.02	बी.ई. 2010-11 में परियोजित करते समय, 2008-09 में वास्तविक प्राप्तियां (₹ 8.58 करोड़) तथा 2009-10 में (₹ 9.43 करोड़) की गत प्रवृत्ति ध्यान में नहीं रखे गए थे। बी.ई. 2010-11 अधिक अनुमानित किया गया जिसके परिणामस्वरूप अवसंग्रहण हुआ जैसा कि वास्तविक प्राप्तियों से स्पष्ट है।
छ)	राज्य उत्पाद	2,100	2,365.81	बी.ई., वास्तविक प्राप्तियों की तुलना में 12.66 प्रतिशत तक अवनुमानित था। 2008-09 पर 2009-10 के दौरान प्राप्ति में 45 प्रतिशत की गत प्रवृत्ति, बी.ई. 2010-11 में परियोजित करते समय ध्यान में नहीं रखा गया।
3)	राज्य के स्वयं के गैर-कर राजस्व	3,548.52	3,420.93	बी.ई. 2010-11 में प्रक्षेपण (₹ 3,548.52 करोड़) ने 16.4 प्रतिशत की मानी गई कमी के विरुद्ध बी.ई. 2009-10 (₹ 3,610.10 करोड़) पर 1.7 प्रतिशत कमी संघटित की। फिर भी, 2010-11 में ₹ 3,420.93 करोड़ की वास्तविक प्राप्तियां, 2009-10 में संग्रहीत प्राप्तियों (₹ 2,741.40 करोड़) से 24.8 प्रतिशत तक उच्चतर थी।
क)	शहरी विकास	700	974.54	वास्तविक प्राप्तियां, बी.ई. 2010-11 में प्रक्षेपणों के 39 प्रतिशत तक उच्चतर थी। 2010-11 के अनुमान बनाते समय रीयल एस्टेट मार्केट में 2008-09 तथा 2009-10 के मंदी का प्रभाव सही ढंग से निर्धारित नहीं किया गया।
ख)	पथ परिवहन	900	761.73	2010-11 हेतु बजट के अन्तिमकरण पश्चात, राज्य सरकार ने, ₹ 70 करोड़ का अतिरिक्त राजस्व वसूलने हेतु 04 अक्टूबर 2010 से 12.50 पैसे प्रति किलोमीटर बस किराया बढ़ा दिया। परन्तु वास्तविक प्राप्तियां, बी.ई. 2010-11 के प्रक्षेपण से कम (₹ 138.27 करोड़) थी।

क्र.सं.	विवरण	बजट प्रावधान 2010 - 11	वास्तविक प्राप्तियां	टिप्पणियां
ग)	अलौह खनन तथा धातुकर्मीय उद्योग	200	82.59	प्रक्षेपण तथ्य को ध्यान में रखे बिना बनाए गए थे कि राज्य में सभी खनन गतिविधियां, पर्यावरणीय स्वच्छता की अनुपलब्धता के कारण 2009 - 10 से बंद की दी गई थी। इसके परिणामस्वरूप, वास्तविक प्राप्तियों की तुलना में 59 प्रतिशत तक अधिक अनुमान हुआ।
	व्यय		वास्तविक व्यय	
14	योजनेतर राजस्व व्यय	20,822.94	22,058.68	बी.ई. 2010 - 11 में, वेतनों हेतु ` 7,903.88 करोड़ तथा पेंशन हेतु ` 2,300 करोड़ के प्रावधान के विरुद्ध क्रमशः ` 9,672 करोड़ तथा ` 3,094 करोड़ का व्यय किया गया। आधिक्य, मुख्यतः छोटे वेतन आयोग की अनुशंसाओं के कार्यान्वयन के कारण वेतनों एवं पेंशन के बकायों के भुगतान के कारण थे। इस प्रकार, बकायों के भुगतान का प्रभाव बी.ई. बनाते समय सही ढंग से निर्धारित नहीं किया गया।

2.6.3 योजना अनुमानों में कमियां

2010 - 11 में योजनागत व्यय ` 11,100 करोड़ निर्धारित था। ` 10,635.02 करोड़ का वास्तविक व्यय (96 प्रतिशत) प्रक्षेपणों से कम था। भिन्नताएं, निम्न तथ्यों के कारण थी:

- i ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना (2007 - 12) में ` 2,717.36 करोड़ की छःमाही प्लान स्कीमें अनुमोदित की गई परन्तु इन स्कीमों के निष्पादन हेतु मार्च 2011 तक बजट प्रावधान नहीं किया गया था (*परिशिष्ट 2.14*)। इनमें से चार स्कीमें, ` 1,688.19 करोड़ कुल परिव्यय के साथ, बाह्य सहायता प्राप्त परियोजनाओं के अधीन अनुमोदित थी (*परिशिष्ट 2.15*)। अनुमोदित स्कीमों के अकार्यान्वयन हेतु कारण प्रतीक्षित थे (अक्टूबर 2011)।
- ii ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना (2007 - 12) में ` 10.52 करोड़ हेतु अनुमोदित चार स्कीमें/परियोजनाएं, राज्य सरकार द्वारा ` 0.21 करोड़ (` 20.81 लाख 2007 - 08 के दौरान तथा 2008 - 09 के दौरान ` 0.10 लाख) का व्यय करने के पश्चात छोड़ दिए गए (*परिशिष्ट 2.16*)।
- iii 2010 - 11 हेतु अनुमोदित वार्षिक योजना में सम्मिलित, ` 1,346.55 करोड़ के परिव्यय के साथ कुल 112 स्कीमें (2009 - 10 हेतु अनुमोदित वार्षिक योजना में भी सम्मिलित 25 स्कीमें ` 190.08 करोड़ के परिव्यय के साथ सम्मिलित करते हुए) कार्यान्वित नहीं की गई (*परिशिष्ट 2.17*)।
- iv मूल अनुमानों में 18 स्कीमों के लिए किया गया ` 27.18 करोड़ का प्रावधान, संशोधित परिव्यय में ` 14.53 करोड़ तक कम कर दिया गया तथा स्कीमें निष्पादित नहीं की गई। इनमें से, तीन स्कीमें, वार्षिक योजना 2009 - 10 में भी ` 4.62 करोड़ हेतु भी अनुमोदित थी, परन्तु समग्र 18 स्कीमें कार्यान्वित नहीं की गई थी (*परिशिष्ट 2.18*)।

- v मूल अनुमानों में 10 स्कीमों हेतु किया गया ` 5.82 करोड़ का प्रावधान आर.ई. में ` 24.24 करोड़ तक बढ़ा दिया गया था परन्तु वर्ष 2010 - 11 के दौरान व्यय नहीं किया गया था। अनुमोदित स्कीमों के अकार्यान्वयन हेतु कारण सूचित नहीं किए गए थे (अक्टूबर 2011) (*परिशिष्ट 2.19*)।
- vi 28 स्कीमों के लिए किया गया ` 619.55 करोड़ का प्रावधान ` 749.48 करोड़ तक बढ़ा दिया गया जिसके विरुद्ध ` 464.23 करोड़ का व्यय वर्ष 2010 - 11 के दौरान किया गया। आगे, पूरक अनुदानों के माध्यम से निधियों का संवर्धन अनावश्यक साबित हुआ क्योंकि कुल व्यय, मूल प्रावधानों से भी कम था। कम व्यय हेतु कारण सूचित नहीं किये गए थे (अक्टूबर 2011) (*परिशिष्ट 2.20*)।
- vii वर्ष 2010 - 11 के दौरान आर.ई. में इक्कीस नई स्कीमों ` 406.67 करोड़ के प्रावधान के साथ सम्मिलित थी, जिनके विरुद्ध ` 117.29 करोड़ (29 प्रतिशत) का कार्य किया गया। इनमें से, ` 276.16 करोड़ के कुल प्रावधान वाली नौ स्कीमों कार्यान्वित नहीं की गई थी। इन अनुमोदित स्कीमों के अकार्यान्वयन हेतु कारण सूचित नहीं किए गए थे (अक्टूबर 2011) (*परिशिष्ट 2.21*)।
- viii बी.ई./आर.ई. 2010 - 11 में किसी प्रावधान के बिना दो स्कीमों के विरुद्ध ` 4.94 करोड़ का व्यय किया गया (*परिशिष्ट 2.22*)। बजट प्रावधान के बिना व्यय करने हेतु कोई कारण नहीं दिया गया।
- ix बजटीय मामलों के संबंध में डेलीगेट की गई वित्तीय शक्तियों के अनुसार (वित्त विभाग ज्ञापन सं. डी - 1122 IV/बी - 1/74 दिनांक 13 दिसंबर 1974 नियम 7) की शर्तों के अनुसार प्लान स्कीमों पर व्यय हेतु आर्बटित निधियां, योजनेतर व्यय पूरा करने हेतु तथा वाइस वरसा पुनर्विनियोजित न की जाएं। शर्त के उल्लंघन में, “2415 - कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा” शीर्ष के अंतर्गत कार्यान्वित की जाने वाली ` 41.76 करोड़ के कुल परिव्यय के साथ 58 उपस्कीमों, 2010 - 11 के दौरान योजनेतर से योजनागत स्कीमों में परिवर्तित की गई थी (*परिशिष्ट 2.23*)। सरकार ने बताया (सितंबर 2011) कि कृषि एवं सहायक सैक्टरों के अंतर्गत परिव्यय, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अंतर्गत जी.ओ.आई. से निधियां प्राप्त करने हेतु राज्य को समर्थ बनाने हेतु, 2010 - 11 के दौरान बढ़ाया गया था। फिर भी, तथ्य रहा कि योजनेतर स्कीमों का प्लान में परिवर्तन बजट मामलों के संबंध में वित्तीय शक्तियों के साथ जुड़ी शर्तों के उल्लंघन में किया गया था।
- x प्लान स्कीमों के अंतर्गत अनुमोदित, दो विभागों के संबंध में ` 4.08 करोड़ के बजट प्रावधान (औद्योगिक प्रशिक्षण: ` 3.96 करोड़ तथा आरकीवज: ` 0.12 करोड़), वार्षिक प्लान 2010 - 11 के अनुमोदन के पश्चात योजनेतर स्कीमों को विपथित किया गया।
- xi बजट मामलों के संबंध में डेलीगेट की गई वित्तीय शक्तियों (वित्त विभाग ज्ञापन सं. डी.1122 IV/बी - 1/74 दिनांक 13 दिसंबर 1974 से नियम 7) की शर्तों के अनुसार प्लान स्कीमों के अधीन एक मुख्य शीर्ष दूसरे मुख्य शीर्ष को पुनर्विनियोजन, आयोजना विभाग की विशिष्ट संस्वीकृति प्राप्त किए बिना, संस्वीकृत नहीं किया जाएगा। शीर्ष “5053 - पूंजीगत परिव्यय नागरिक उड्डयन पर पूंजीगत परिव्यय (प्लान) - 800 अन्य व्यय - 99 - एरोड्रूमस” के अंतर्गत अनुदान संख्या 34 - (यातायात) के अंतर्गत पूरक अनुदान 2010 - 11 के माध्यम से ` दो करोड़ का एक

प्रावधान किया गया (सितंबर 2010)। फिर भी, निधियां, अनुदान संख्या-8 (भवन एवं सड़कें) के अंतर्गत, लोक निर्माण (भवन एवं सड़कें) विभाग को जारी की गई (मार्च 2011)। बजट मामलों के संबंध में शक्तियों के डेलीगेशन के साथ संलग्न शर्तों के उल्लंघन में एक अनुदान से दूसरे अनुदान के अंतर्गत निधियों का अन्तरण अनुमोदित किया।



2.7 चयनित अनुदानों की समीक्षा के परिणाम

दो अनुदानों (अनुदान संख्या “8-भवन एवं सड़कें” तथा अनुदान संख्या “9-शिक्षा⁷”) के व्यय पर नियंत्रण तथा बजटीय प्रक्रिया की समीक्षा, गत तीन वर्षों के दौरान बचतों एवं आधिक्यों तथा वर्ष 2010-11 के दौरान अनुदानों तथा पूरक मांगों के विस्तार के आधार पर की गई (जून-अगस्त 2011)। समीक्षा के दौरान अवलोकित महत्वपूर्ण बिंदु नीचे वर्णित हैं:

2.7.1 अनुदान संख्या 8 भवन एवं सड़कें

अनुदान के अंतर्गत ` 2,442.82 करोड़ (मूल: ` 2,086.25 करोड़ तथा पूरक: ` 356.57 करोड़) के बजट प्रावधान के विरुद्ध ` 1,810.84 करोड़ व्यय किया गया, परिणामतः ` 631.98 करोड़ की बचतें हुई (कुल प्रावधान का 25.9 प्रतिशत) (परिशिष्ट 2.24) जैसा कि नीचे चर्चित है:

- i अनुदान के अंतर्गत ` 631.99 करोड़ की कुल बचतों के विरुद्ध, ` 496.91 करोड़ की राशि 31 मार्च 2011 को अभ्यर्पित की गई थी। इस प्रकार, ` 135.08 करोड़ की राशि अभ्यर्पित नहीं की गई, जिसने अपर्याप्त वित्तीय नियंत्रण तथा तथ्य इंगित किया कि ये निधियां, सरकार की अन्य स्कीमों/कार्यक्रमों पर उपयोग नहीं की जा सकी।
- ii ` 631.99 करोड़ की बचतों को ध्यान में रखते हुए ` 356.57 करोड़ के पूरक प्रावधान (‘राजस्व’ के अंतर्गत ` 168.67 करोड़ तथा ‘पूँजीगत’ शीर्षों के अंतर्गत ` 187.90 करोड़) अविवेकपूर्ण थे तथा अनावश्यक साबित हुए क्योंकि वास्तविक व्यय (` 1,810.84 करोड़) मूल प्रावधान (` 2,086.26 करोड़) तक भी नहीं हुआ।
- iii राजस्व (दत्तमत) सैक्शन के अंतर्गत ` 369.31 करोड़ की समग्र बचतों के विचार से, मार्च 2011 में प्राप्त ` 168.67 करोड़ के पूरक अनुदान अनावश्यक साबित हुए क्योंकि वास्तविक व्यय, मूल प्रावधान तक भी नहीं हुआ। बचतें, मुख्यतः, शीर्षों के अंतर्गत “3054 सड़कें एवं पुल” नीचे उप-शीर्षों “04-जिला एवं अन्य सड़कें, 337-सड़क कार्य, 98-ग्रामीण सड़कें” (` 99.88 करोड़) खदानों के बंद होने के कारण, “80-सामान्य, 797-आरक्षण निधियों एवं जमा लेखाओं को/से अन्तरण (` 99.43 करोड़) जिसके लिए कारण सूचित नहीं किए गए थे तथा

⁶ राजस्व सैक्शन के अंतर्गत “2059-लोक निर्माण”, “2216-आवास” तथा “3054-सड़कें एवं पुल” तथा पूँजीगत सैक्शन में, “4059-लोक निर्माण पर पूँजीगत परिव्यय (सी.ओ.), “4202-शिक्षा खेल, कला एवं संस्कृति पर सी.ओ.” 4232-सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण पर सी.ओ. “4250-अन्य सामाजिक सेवाओं पर सी.ओ., “4405-मत्स्य पालन पर सी.ओ.” “4850-ग्रामीण एवं लघु उद्योग पर सी.ओ., “5053-नागर विमानन पर सी.ओ.” एवं “5054-सड़कें तथा पुल पर सी.ओ.” से संव्यवहार करने वाली।

⁷ 2202-सामान्य शिक्षा से संव्यवहार करती है।

“2059-लोक निर्माण, 60-अन्य भवनों, 053 अनुरक्षण एवं मरम्मत, 99-अनुरक्षण एवं मरम्मत” (` 50.49 करोड़) नए कार्यों की असंस्वीकृति के कारण, हुई थी।

- iv पूंजीगत (दत्तमत) सैक्शन के अंतर्गत बचतें (` 260.48 करोड़) मुख्यतः शीर्ष के अंतर्गत “5054-सड़कों एवं पुलों पर पूंजीगत परिव्यय, 04-जिला एवं अन्य सड़कें, 789-एस.सी.एस.पी, 99-अनुसूचित जाति जनसंख्या क्षेत्र में सड़कों का निर्माण/विशेष मरम्मत” (` 120.97 करोड़) के अंतर्गत खदानों के बंद होने के कारण हुई। पी.जी.आई.एम.एस., रोहतक में ओपन ओपथलमोलोजी ब्लॉक के निर्माण हेतु पी.जी.आई.एम.एस., रोहतक से प्राप्त निधियों की अनावश्यकता के कारण शीर्ष “4210-चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य, 03-चिकित्सा शिक्षा प्रशिक्षण एवं अनुसंधान, 105-एलोपैथी, 99-भवनों” (` 28.89 करोड़) के अंतर्गत भी बचतें हुई।
- v विभिन्न उपशीर्षों के अंतर्गत 77 स्कीमों/कार्यों (परिशिष्ट 2.25) के निष्पादन हेतु किया गया ` 67.87 करोड़ का समग्र प्रावधान, अनुमानों के अनन्तीकरण के कारण, स्कीमों के अकार्यान्वयन क्लाइंट विभाग द्वारा कार्यों की असंस्वीकृति तथा ऑनलाइन बजट मानीटरिंग प्रणाली की कमी के कारण, अप्रयुक्त रहा तथा अभ्यर्पित कर दिया गया। इस प्रकार, पर्याप्त आयोजना के बिना बनाए गए थे।
- vi 21 उपशीर्षों के (परिशिष्ट 2.26) अंतर्गत किए गए ` 848.62 करोड़ के प्रावधान के विरुद्ध ` 193.71 करोड़ के प्रावधान अविवेकपूर्णतः अभ्यर्पित कर दिए गए तथा इन कार्यों पर ` 730.30 करोड़ का व्यय किया गया। इसके परिणामस्वरूप ` 75.39 करोड़ का अधिक व्यय हुआ। जिसने, आहरण एवं संवितरण अधिकारियों तथा नियंत्रण अधिकारियों द्वारा व्यय पर निष्प्रभावी नियंत्रण इंगित किया।
- vii सामान्य वित्तीय नियम का नियम 56 प्रावधान करता है कि व्यय, सारा वर्ष समान रूप से विस्तृत होना चाहिए। संवरण मास में व्यय का वेग, वित्तीय औचित्य का उल्लंघन माना जाता है तथा परिहार किया जाना चाहिए। 2010-11 के दौरान, नौ स्कीमों पर ` 79.14 करोड़ का व्यय किया गया (परिशिष्ट 2.27) जिसमें से, ` 65.56 करोड़ का व्यय (83 प्रतिशत) मार्च 2011 के दौरान किया गया। मार्च माह के दौरान व्यय के वेग ने वित्तीय नियम की अननुपालना दर्शाई।

2.7.2 अनुदान संख्या 9-शिक्षा

वर्ष 2010-11 के दौरान, राजस्व (दत्तमत) सैक्शन के अंतर्गत ` 6,173.08 करोड़ के बजट प्रावधान (मूल: ` 5,788.57 करोड़ तथा पूरक: ` 384.51 करोड़) के विरुद्ध (योजनागत: ` 1,702.03 करोड़ तथा योजनेतर: ` 4,471.05 करोड़) ` 5,562.55 करोड़ का व्यय किया गया, परिणामतः ` 610.53 करोड़ की (कुल प्रावधानों का 10 प्रतिशत) बचतें हुईं जैसा कि नीचे चर्चित है:

- i अनुदान के अंतर्गत ` 610.53 करोड़ की बचतों के विरुद्ध ` 469.71 करोड़ की राशि 31 मार्च 2011 को अभ्यर्पित की। इस प्रकार, ` 140.82 करोड़ की बचतें अभ्यर्पित नहीं की गईं। इसने अपर्याप्त वित्तीय नियंत्रण तथा यह तथ्य इंगित किया कि ये निधियां सरकार की अन्य विकास स्कीमों/कार्यक्रमों पर प्रयुक्त नहीं की जा सकी।

- ii अनुदान के अंतर्गत ₹ 610.53 करोड़ की बचतों को ध्यान में रखते हुए, पूरक अनुदानों के माध्यम से ₹ 384.52 करोड़ के प्रावधान अविवेकपूर्ण थे तथा अनावश्यक साबित हुए क्योंकि वास्तविक व्यय (₹ 5,562.55 करोड़) मूल प्रावधान (₹ 5,788.57 करोड़) तक भी नहीं आया था।
- iii पंजाब बजट मैनुअल, जैसा कि हरियाणा राज्य में लागू है, का अनुच्छेद 5.3 प्रावधान करता है कि बजट अनुमान यथा संभव समीप एवं परिशुद्ध होना चाहिये तथा प्रत्येक मद के संबंध में सम्मिलित किया जाने वाला प्रावधान, वर्ष के दौरान जो भुगतान या व्यय किया जाना है, पर आधारित होना चाहिए। आठ स्कीमों के लिए किया गया ₹ 43.75 करोड़ का समग्र बजट प्रावधान (**परिशिष्ट 2.28**) जो अप्रयुक्त रहा, स्कीमों के अनन्तिमकरण/अकार्यान्वयन के कारण अभ्यर्पित किया गया। इस प्रकार, प्रक्षेपण पर्याप्त प्लानिंग के बिना किया गया था।
- iv बचतें, मुख्यतः शीर्षों, “2202 - सामान्य शिक्षा, 01 - प्राथमिक शिक्षा, 101 - सरकारी प्राथमिक विद्यालयों” नीचे लघु शीर्षों, “88 - प्राथमिक शिक्षा कक्षाओं I से V की स्थापना (₹ 165.11 करोड़), “97 - कक्षाओं I से V (पूर्णकालिक) सुविधाओं का विस्तार (₹ 103.15 करोड़) पदों के रिक्त रहने तथा सरकार द्वारा अर्थव्यवस्था उपाय लागू करने के कारण: “02 - माध्यमिक शिक्षा, 109 - राजकीय माध्यमिक स्कूल, 86 - राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान (आर.एम.एस.ए.) (₹ 152.39 करोड़) जी.ओ.आई. से कम सहायता अनुदान की प्राप्ति के कारण; “99 - शिक्षण स्टाफ अन्य स्थापना सहित, 98 - स्थापना व्यय” (₹ 29.94 करोड़) पदों के रिक्त रहने, अनुग्रह, अवकाश यात्रा रियायत तथा चिकित्सा प्रतिपूर्ति के कम दावों की प्राप्ति के कारण; “001 निदेशक एवं प्रशासन, 99 - प्रशासन स्टाफ, 97 - सूचना प्रसारण प्रौद्योगिक (आई.सी.टी.) विद्यालय (₹ 33.50 करोड़), “03 - विश्वविद्यालय एवं उच्चतर शिक्षा, 103 राजकीय महाविद्यालय तथा संस्थान, 99 - संस्थान” (₹ 36.54 करोड़) पदों के रिक्त होने तथा सरकार द्वारा अर्थव्यवस्था उपाय लागू करने के कारण, “104 - गैर सरकारी महाविद्यालयों तथा संस्थानों को सहायता, 99 - गैर - सरकारी महाविद्यालयों को सहायता अनुदान (₹ 37.11 करोड़) वेतन बकाओं के अभुगतान के कारण तथा “107 - छात्रवृत्तियां, 94 - उच्चतर शिक्षा जाने वाले बी.पी.एल. तथा बी.सी.ए. विद्यार्थियों हेतु स्टाइफंड स्कीमों (₹ 22 करोड़) स्कीम के अकार्यान्वयन के कारण हुई।
- v सामान्य वित्तीय नियम का नियम 56 प्रावधान करता है कि व्यय सारा वर्ष समान रूप से विस्तृत होना चाहिए तथा अंतिम मास में व्यय का वेग वित्तीय औचित्य का उल्लंघन माना जाता है तथा परिहार किया जाना चाहिए। 29 स्कीमों पर ₹ 435.68 करोड़ का व्यय किया गया था (**परिशिष्ट 2.29**) इसमें से ₹ 244.63 करोड़ का व्यय (56 प्रतिशत) मार्च 2011 के माह के दौरान किया गया। मार्च के माह के दौरान व्यय के वेग ने वित्तीय नियम की अननुपालना दर्शाई।
- vi राज्य सरकार ने ₹ 25.55 करोड़ की राशि तीन समितियों को अन्तरित की थी, जिसमें से ₹ 6.21 करोड़ 2010 - 11 के दौरान अन्तरित किए गए थे तथा ₹ 15.47 करोड़ का शेष 31 मार्च 2011 को इन समितियों के पास अब भी पड़ा था, जैसा कि तालिका 2.8 में वर्णित है।

तालिका 2.8: समितियों के विवरण जहां निधियां अन्तरित की गई थी

(` करोड़ में)

क्र. सं.	समितियों के नाम	2010 - 11 तक अन्तरित राशि	जिसमें से 2010 - 11 के दौरान अन्तरित राशि	व्यय	शेष	समितियों का प्रयोजन
1	हरियाणा में ज्ञान बढ़ाने तथा अध्ययन के पुनर्नूकूलन हेतु प्रौद्योगिकी का प्रयोग (उत्कर्ष)	22.04	4.00	10.05	13.26	सेटलाइट (एजुसेट) के माध्यम से गुणवत्ता शिक्षा बढ़ाना
2	शिक्षा लोक समिति (एस.एल.एस)	1.46	0.71	0.75	0.71	शिक्षा लोक की मासिक पत्रिका तथा शिक्षक डायरी का मुद्रण
3	राज्य साक्षरता मिशन प्राधिकरण (एस.एल.एम.ए.)	2.05	1.50	0.55	1.50	साक्षर भारत स्कीम का कार्यान्वयन
योग		25.55	6.21	11.35	15.47*	

(स्रोत: विभाग द्वारा आपूरित विवरण)

* उत्कर्ष समिति द्वारा अर्जित ` 1.27 करोड़ का ब्याज संवरण शेषों में सम्मिलित है।

इन समितियों ने ये राशियां, सरकारी लेखे से बाहर अपने बैंक लेखाओं में रखी थी जबकि अन्तरित राशि, सरकारी लेखे में व्यय के रूप में दर्शाई गई थी।

इस प्रकार, विनियोजन लेखाओं में एवं वित्त लेखाओं में दर्शाया गया व्यय अतिकथित था। समिति को निधियों के प्रवाह हेतु एक भिन्न लेखांकन उपचार अपनाए जाने की आवश्यकता है ताकि निधियों की सही उपयोगिता पर एक आश्वासन प्राप्त करने के पश्चात, उनके द्वारा किया गया केवल अन्तिम व्यय सरकारी लेखाओं में दर्ज किया जाए।

2.7.3 बजट अनुमानों के प्रस्तुतिकरण में विलम्ब

2010 - 11 हेतु बजट अनुमान, प्रशासनिक विभागों तथा विभिन्न कार्यालयों के प्रमुखों द्वारा 6 नवम्बर 2009 से पूर्व प्रस्तुत किए जाने अपेक्षित थे। इसके विपरीत, चार विभागध्यक्षों ने (अनुदान संख्या 8: एक तथा अनुदान संख्या 9: तीन) वित्त विभाग को अपने बजट अनुमान 43 तथा 79 दिनों के मध्य श्रृंखलित विलम्बों के पश्चात प्रस्तुत किए (परिशिष्ट 2.30)।

2.8 निष्कर्ष

2010 - 11 के दौरान, ` 51,652.90 करोड़ के कुल अनुदानों तथा विनियोजनों के विरुद्ध ` 41,893.34 करोड़ का व्यय किया गया। ` 9,759.56 करोड़ की समग्र बचत, ` 9,982.03 करोड़ की कुल बचतों में से थी जो ` 222.47 करोड़ के अधिक व्यय द्वारा प्रतिलुलित किया गया और जिसका भारत के संविधान के अनुच्छेद 205 के अंतर्गत विनियमन अपेक्षित था। इसके अतिरिक्त, वर्ष 2008 - 09 तथा 2009 - 10 से संबंधित 10 अनुदानों में ` 741.92 करोड़ का अधिक व्यय का भी, उक्त अनुच्छेद के अंतर्गत विनियमन अपेक्षित था। 10 प्रकरणों में, ` 5,430.32 करोड़ की कुल राशि, जो अभ्यर्पित की गई थी (प्रत्येक प्रकरण में ` 50 लाख या अधिक), वास्तविक बचतों से ` 648.14 करोड़ तक अधिक थी, जो इन विभागों में अपर्याप्त बजटीय नियंत्रण

इंगित करती है। 20 प्रकरणों में ` 4,475.44 करोड़ की बचतों में से ` 964.77 करोड़ की बचतें अभ्यर्पित नहीं की गई थी। 31 प्रकरणों में, ` 9,775.79 करोड़ की कुल राशि वित्तीय वर्ष के अन्तिम दो कार्य दिवसों में अभ्यर्पित की गई थी। अविवेकपूर्ण पुनर्विनियोजन के भी प्रकरण थे।



2.9 अनुशंसाएं

- सभी सरकारी विभागों, जहां गत पांच वर्षों से नियमित रूप से बचतें/आधिक्य अवलोकित किए गए हैं, में बजटीय नियंत्रण सुदृढ़ किया जाना चाहिये।
- प्रत्येक वर्ष की समाप्ति पर बृहद बचतों/आधिक्यों, पुनर्विनियोजनों तथा अभ्यर्पणों के परिहार हेतु, प्राप्तियों एवं व्यय की प्रवृत्तियों को ध्यान में रखते हुए, वास्तविक बजट अनुमान प्रस्तुत करने हेतु सभी विभागों द्वारा प्रयास किए जाने चाहिये।
- वर्ष की समाप्ति पर निधियों की निर्मुक्ति का परिहार किया जाना चाहिये। अत्यधिक एवं अपर्याप्त निधियों के परिहार हेतु पुनर्विनियोजन विवेकपूर्ण होने चाहिये।
- प्रत्याशित बचतें जब कभी ये संभावित हो अभ्यर्पित की जानी चाहिये ताकि राशियां अन्य स्कीमों पर प्रयुक्त की जा सकें।